रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 19—जनवरी 25, 2013 (पौष 29, 1934)

No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 19—JANUARY 25, 2013 (PAUSA 29, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

(गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग)

मुंबई-400005, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

सं. गैबैंपवि(नीप्र)252/सीजीएम(यूएस)-2012--भारतीय रिज़र्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से, सभी कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) को निम्नलिखित निदेश देना आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ञक, 45ट तथा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निदेश देता है :--

निदेशों का संक्षिप्त शीर्षक (नाम) तथा उसे प्रयोग में लाना

i. इन निदेशों को कोर निवेश कंपनी-विदेशी निवेश (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2012 कहा जाएगा।

ii. यह निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

iii. यह निदेश विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा विदेशी निवेश के लिए निर्धारित निदेशों के अतिरिक्त होगा।

2. सीआईसी द्वारा विदेशी निवेश के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति

i. यह निदेश सभी सीआईसी[1] (भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकृत अथवा पंजीकरण से छूट प्राप्त किसी भी स्थिति में) पर लागू होंगे, जो विदेशी निवेश की इच्छा रखती है।

ii. विदेशी वित्तीय[2] क्षेत्र में निवेश :

वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश की इच्छा रखने वाली सीआईसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) धारण तथा पंजीकृत सीआईसी पर लागू सभी विनियमों का पालन करना होगा। अत: सीआईसी जिन्हें बैंक के विनियमन संरचना से छूट प्राप्त है (छूट प्राप्त सीआईसी) वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए उन्हें बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है तथा वे सीआईसी-एनडी-एसआई की तरह विनियमित होंगी।

iii. गैर वित्तीय क्षेत्र में निवेश :

[1] सीआईसी, 05 जनवरी 2011 के परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि सं. 206/03.10.001/2010.11 के पैरा 2(बी) परिभाषित के अनुसार जिसका शीर्षक है कोर निवेश कंपनियों के लिए विनियामक संरचना।

[2] उद्देश्य के लिए वित्तीय क्षेत्र अर्थात् वह क्षेत्र/सेवाएं जो वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित है।

17 दिसम्बर 2012

फा. सं. 14-3/2012 (सीपीपी-II)

यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 26 के उप–अनुच्छेद (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमों का सृजन करता है, नामत:

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन:–

(1) ये विनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शैक्षिक संस्थानों में समरूपता की प्रोन्नति) विनियम, 2012 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम, भारत के सभी उच्च शैक्षिक संस्थानों में लागू होंगे।

(3) इन्हे, भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू माना जाएगा।

2. परिभाषाएँ:– यदि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो; इन विनियमों के अंतर्गत:–

(क) "**उच्च शैक्षिक संस्थानों के संघटक**" से तात्पर्य है उच्च शैक्षिक संस्थानों से संबद्ध समुदाय का कोई प्राधिकारी, या व्यक्ति, या व्यक्ति समूह, या वर्ग।

(ख) "**भेदभाव**" से तात्पर्य है जाति आधारित कोई भिन्नता, बहिष्कार, सीमाबद्धता या वरीयता जिसका उद्देश्य अथवा प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में समानता को निष्प्रभावी तथा बाधित करना है, विशेषत:–

(i) किसी भी प्रकार की किसी भी स्तर की शिक्षा को प्राप्त करने में जाति, वर्ण धर्म, भाषा, नैतिकता, लिंग, विकलांगता के आधार पर किसी छात्र या छात्र समूह को वंचित करना;

(ii) किसी छात्र या छात्र समूह पर ऐसी शर्तें लागू करना, जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हैं;

(iii) किसी छात्र या छात्र समूहों हेतु जाति, वर्ण, धर्म, भाषा, नैतिकता, लिंग एवं शारीरिक विकलाँगता के आधार पर पृथक शैक्षिक प्रणालियों या संस्थानों की स्थापना या अनुरक्षण के प्रावधान के अंतर्गत लाना।

(ग) "समानता" से तात्पर्य है सभी व्यक्तियों के लिए बगैर किसी भेदभाव के वैध अधिकारों की प्राप्ति एवं उनसे लाभान्वित होने के अवसर प्राप्त करना।

(घ) "उत्पीड़न" से तात्पर्य है अनचाहा, निरंतर गंभीर रूप से किया जाने वाला निकृष्ट व्यवहार जो दूसरे को अपमानित द्वेषपूर्ण एवं भयभीत करने वाला हो तथा जिसके कारण वास्तविक रूप से या धमकी देने पर समर्पण करना पड़े।

(ङ) "उच्च शैक्षिक संस्थान" से तात्पर्य है एक ऐसा विश्वविद्यालय जो अनुच्छेद 2 की धारा (एफ) में आवृत्त है अथवा एक ऐसा महाविद्यालय जो अनुच्छेद 12 (ए) के उप अनुच्छेद (1) की धारा (बी) की परिभाषा में आवृत्त है तथा एक ऐसा संस्थान जिसे यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत एक मानित विश्वविद्यालय घोषित किया गया है।

(च) "रैगिंग" से तात्पर्य ऐसी क्रियाओं से है जिन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण संबंधी नियम, 2009 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

(छ) "प्रतिकूल व्यवहार" से तात्पर्य है कार्य वातावरण में प्रतिकूल परिवर्तन, प्रशिक्षण प्रदान करने से इनकार, आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने से इनकार, नकारात्मक परिवीक्षण रिपोर्ट, कष्टदायक शिकायतें एवं समकक्षों द्वारा बहिष्कार।

(ज) "प्रताड़ना" से तात्पर्य है किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, वर्ण, धर्म, भाषा, नैतिकता, लिंग तथा विकलाँगता के आधार पर व्यवहार।

3. भेदभाव के विरुद्ध उच्च शैक्षिक संस्थानों में किये जाने वाले उपाय:—

(1) प्रत्येक उच्च शैक्षिक संस्थान निम्नवत उपाय करेगा:—

(क) जाति, वर्ण, धर्म, भाषा, नैतिकता, लिंग एवं विकलाँगता के प्रति बगैर किसी पूर्वाग्रह के छात्रों के हितों की सुरक्षा।

(ख) सभी उच्च शैक्षिक संस्थानों में किसी भी छात्र के साथ किसी भी रूप में विद्यमान जातिगत भेदभाव अथवा उत्पीड़न को प्रतिबन्धित करना तथा निराकरण एवं संरक्षण के ऐसे उपाय उपलब्ध कराना, जिससे उनका उन्मूलन हो सके तथा जातिगत भेदभाव अथवा उत्पीड़न में लिप्त व्यक्तियों को दण्डित करना।

(ग) समाज के सभी वर्गों के छात्रों में समानता की भावना को प्रोन्नत करना।

(2) अजा/अजजा से संबद्ध छात्रों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के संबंध में केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के प्रति बगैर किसी पूर्वाग्रह के कोई भी उच्च शैक्षिक संस्थान अजा/अजजा श्रेणी के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, न ही उच्च शैक्षिक संस्थानों के संघटक को किसी छात्र या छात्र समूह को किसी भी प्रकार के भेदभाव की अनुमति देगा या

अनदेखी करेगा तथा इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करेगा, नामतः–

(क) उच्च शैक्षिक संस्थान या उसका कोई संघटक संस्थान अजा एवं अजजा से संबद्ध छात्रों के दाखिले में कोई भेदभाव नहीं करेगाः–

(i) दाखिले में अनुप्रयोजनीय आरक्षण नीति का उल्लंघन करके।
(ii) दाखिले हेतु ऐसे छात्रों के आवेदन स्वीकार करके।
(iii) आवेदन प्रक्रिया की विधि द्वारा।
(iv) किसी छात्र को दाखिले की पेशकश करते समय उसके लिए प्रबंधों तथा प्रयुक्त मानदण्डों द्वारा।
(v) किसी भी छात्र द्वारा दाखिला लेते समय डिग्री, डिप्लोमा आदि प्रमाणपत्रों को उच्च शैक्षिक संस्थान में जमा कर दिया जाने पर, इन दस्तावेजों को इस विचार से अपने पास रोक लेना या वापस लौटाने से इनकार करना कि वे जिस पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम को आगे पढ़ने का इच्छुक नहीं है, उसका शुल्क वसूल करने के लिए दबाव बना सके या जोर डाल सके।
(vi) घोषित दाखिला नीति में निर्दिष्ट शुल्क से अधिक शुल्क की माँग करके।
(vii) उच्च शैक्षिक संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गए नामांकन द्वारा किसी लाभ प्राप्ति से इनकार या उसकी मात्रा को सीमित करके।
(viii) किसी छात्र के किसी विशिष्ट कक्षा स्तर या अध्ययन क्षेत्र, प्रशिक्षण या अनुदेश में नामांकन संबंधी किसी भी प्रकार के सहयोग करके।

(ख) उच्च शैक्षिक संस्थान या उसके घटक संस्थान, उच्च शैक्षिक संस्थानों के सभी व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों द्वारा किसी भी छात्र को उत्पीड़ित या प्रताड़ित करने से प्रतिबाधित करेंगे:

(i) छात्रों की जाति, जनजाति, धर्म, प्रदेश के नाम को कक्षा में मौखिक रूप से या अन्यथा घोषणा करके;
(ii) कक्षा में ऐसे छात्रों पर आरक्षित श्रेणी का लेबल लगाकर;
(iii) कक्षा में अच्छा कार्य निष्पादन न होने के कारण जातिगत, सामाजिक, प्रादेशिक, रंगभेद या धार्मिक पृष्ठभूमि संबंधी सांकेतिक फब्तियाँ कसकर;
(iv) अन्य छात्रों की तुलना में किसी छात्र को संकाय से मिलने के लिए पृथक समय देकर;
(v) प्रयोगशाला में प्रवेश की अनुमति प्राप्त होने पर भी ऐसे छात्रों को काम करने की अनुमति न देकर तथा उन्हें बेकार बैठाकर;
(vi) ऐसे छात्रों या छात्र समूह को वाचनालय में पृथक सीट देकर।
(vii) ऐसे छात्रों को किताबें, पत्रिकाएँ या जर्नल्स आदि जारी करते समय भेदभाव करके;
(viii) किसी छात्र या छात्र वर्ग के साथ उनकी जाति, वर्ण, धर्म या प्रदेश के आधार पर खेलकूद सुविधाओं का उपयोग करने में भेदभाव करके।

(ग) उच्च शैक्षिक संस्थान या उसका घटक संस्थान जाति, वर्ग, धर्म, भाषा, नैतिकता, लिंग एवं विकलांगता के आधार पर मूल्यांकन करते समय कोई भेदभाव नहीं करेगा, न ही इसकी अनुमति देगा:—

(i) ऐसे छात्रों के परीक्षा पत्रों का उचित मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन न करके तथा उन्हें कम अंक देकर;

(ii) किसी छात्र या छात्र वर्ग के परीक्षा परिणामों की घोषणा में विलम्ब करके;

(घ) उपरोक्त संस्थान सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र के प्रति जाति, वर्ण, धर्म, भाषा, नैतिकता, लिंग एवं विकलांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, न ही भेदभाव करने की अनुमति देंगे।

(i) अध्येतावृत्तियों के संबंध में पूर्ण जानकारी न देकर।

(ii) छात्रों की अध्येतावृत्तियाँ रोककर या प्रतिबन्ध लगाकर।

(ङ) उपरोक्त संस्थान सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र या छात्र वर्ग के प्रति जाति, वर्ण, धर्म, भाषा, नैतिकता, लिंग एवं विकलांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, न ही भेदभाव करने की अनुमति देंगे:—

(i) ऐसे छात्रों को छात्रावास, भोजनालय, वाचनालय, कॉमनरूम, क्रीड़ास्थल या कैंटीन में अन्य से पृथक करके तथा छात्र सुविधाओं यथा पेयजल आदि सहित को अलग थलग करके।

(ii) ऐसे छात्रों के विरूद्ध विशेषरूप से लक्षित रैगिंग की गतिविधियों में संलिप्त होकर।

(iii) उन छात्रों की नियमित गतिविधियों में विघ्न अथवा बाधा डालने वाले कृत्यों द्वारा।

(iv) ऐसी किसी संक्रिया द्वारा जो ऐसे छात्रों से वित्तीय छीना-झपटी अथवा जबरन व्यय कराने वाले कृत्यों द्वारा।

(v) ऐसे छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों अथवा समारोह में भागीदारी की अनुमति प्रदान न करके।

(च) उच्च शैक्षिक संस्थान, छात्रों के सभी वर्गों में किसी सामाजिक वर्ग से संबद्ध छात्रों से पूर्वाग्रह के बिना उनके मध्य समानता प्रोन्नत करेंगे तथा इस उद्देश्य से एक समान सुअवसर प्रकोष्ठ स्थापित करेगा तथा एक भेदभाव विरोधी अधिकारी को नियुक्त करेगा, जो किसी विश्वविद्यालय में अथवा एक मानित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद से निम्न स्तर का नहीं होगा तथा किसी महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर से निम्न पद वाला नहीं होगा।

(छ) उच्च शैक्षिक संस्थान में, किसी भी एक अथवा अनेक लोगों के समूह द्वारा मौखिक अथवा लिखित कोई भी ऐसा आचरण जिससे छात्रों पर रैगिंग का दुष्प्रभाव पड़ सकता है, उसका निषेध करेगा।

(ज) इन विनियमों के लागू किये जाने के 6 माह के भीतर उच्च शैक्षिक संस्थान ऐसी प्रणालियाँ एवं तन्त्र निर्धारित करेगा जो किसी भी छात्र अथवा छात्रों के समूह द्वारा की गई भेदभाव संबंधी शिकायतों का निपटान करेगा तथा उच्च शिक्षण संस्थान पर यह दायित्व होगा कि ऐसी शिकायतों के मिलने के बाद या उनकी प्रस्तुति के अधिकतम 60 दिनों के भीतर उन पर निर्णय ले।

(झ) उच्च शैक्षिक संस्थान, ऐसे कदम उठायेगा ताकि शैक्षिकभ्रातृ समुदाय एवं जन सामान्य, समानता के बारे में जागरूक बने एवं उच्च शैक्षिक संस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों अथवा हाशिये पर स्थित वर्गों के साथ किसी भी रूप में जाति आधारित भेदभाव की भावनाओं से ऊपर उठने का महत्व समझ सकें।

(ञ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबद्ध छात्रों के विषय में समस्त सांविधिक प्रावधानों एवं सुरक्षात्मक उपायों का कडाईपूर्वक अनुपालन, उच्च शैक्षिक संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(ट) उच्च शैक्षिक संस्थान, अपनी वेबसाइट पर भेदभाव उन्मूलन के समस्त उपायों को अपलोड करेगा तथा किसी भी वर्ग के छात्र के विरूद्ध किये जा रहे भेदभाव एवं प्रताड़ना का निराकरण करने के प्रति जनसाधारण की सापेक्ष जागरूकता सामग्री को भी वह अपलोड करेगा।

4. दण्ड:— (1) जैसा कि इन विनियमों में विर्निदिष्ट किया गया है, यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी उच्च शैक्षिक संस्थान में किसी छात्र पर अथवा छात्रों के किसी वर्ग के साथ कोई भेदभाव अथवा उत्पीड़न करता है तो उसका निपटान निम्न प्रणाली द्वारा किया जायेगा। नामत:—

(क) किसी भी लिखित शिकायत के मिलने पर यदि उसके द्वारा आवश्यक समझा जाता है तो भेदभाव–विरोधी अधिकारी अनुवर्ती कार्रवाई करेगा, जिसमें प्राथमिक तथ्यान्वेषण पड़ताल सम्मिलित होगी।

(ख) भेदभाव–विरोधी अधिकारी की अनुशंसा पर उच्च शैक्षिक संस्थान, उचित अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

(ग) छात्रों के मामले में, उच्च शैक्षिक संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसी पड़ताल रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उसको उपयुक्त कार्रवाई के लिये भेदभाव विरोधी अधिकारी के पास भेजा जायेगा, ताकि उच्च शैक्षिक संस्थान अपनी संविधियों अथवा अध्यादेशों के द्वारा अथवा उनके या यूजीसी के विनियमों के अनुसार, अथवा यूजीसी के रैगिंग संबंधी विनियमों अथवा किसी अन्य निर्धारित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करेगा।

(घ) शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक स्टाफ के मामले में, जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उच्च शैक्षिक संस्थान के सक्षम अधिकारी, उस संस्थान की संविधियों एवं अध्यादेशों, अथवा उस उच्च शैक्षिक संस्थान के विनियमों अथवा उस संस्थान में लागू शर्तों के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे।

2. भेदभाव एवं दी गई प्रताड़ना के अनुरूप ही दण्ड दिया जाएगा।

5. शिकायत के बारे में सूचना:– (1) जैसा कि इन विनियमों में परिभाषित है, कोई भी भेदभाव अथवा प्रताड़ना संबंधी शिकायत किसी भी छात्र अथवा उस छात्र के अभिभावक द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत की जाती है, इस बात का लिहाज़ किये बिना कि वह भेदभाव अथवा प्रताड़ना कथित रूप से उच्च शैक्षिक संस्थान के भीतर अथवा बाहर घटित हुई है।

2. शिकायत में कथित भेदभाव एवं प्रताड़ना का पर्याप्त विवरण होना चाहिये।

3 शिकायत को भेदभाव विरोधी अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए।

4. सूचना को सूत्रबद्ध एवं सार्वजनिक करने के लिए पारदर्शी प्रणाली के अनुरूप ऐसी शिकायत से निपटने के लिए इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

6. अपील

भेदभाव विरोधी अधिकारी द्वारा दिये गए आदेश से असन्तुष्ट कोई भी व्यक्ति, उच्च शैक्षिक संस्थान द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, ऐसे आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर उच्च शैक्षिक संस्थान के प्रमुख के समक्ष अपील दायर कर के अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

बशर्ते, उच्च शैक्षिक संस्थान का प्रमुख यदि 90 दिनों की अवधि के पश्चात दायर की गई अपील पर विचार कर सकता है यदि वह सन्तुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास निर्धारित 90 दिनों की कथित अवधि के भीतर अपील दायर न कर पाने का पर्याप्त कारण था।

अखिलेश गुप्ता
सचिव

विश्वविद्यालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 2012

सं. जा.मि.इ./आर.ओ./एल. एण्ड ऑर्ड./2012– सभी संबंधितों की सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलाध्यक्ष की हैसियत से विभागाध्यक्षों की नियुक्ति से संबंधित जा.मि. इ. अधिनियम, 1988 के मौजूदा परिनियम 8 में संशोधन/संकलन हेतु अपनी सहमति प्रदान की है तथा जिसकी सूचना उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने पत्र सं. एफ. 6-11/2012-डेस्क (यू), दिनांक 8 नवम्बर, 2012 द्वारा दी है।

संशोधित परिनियम 8 अनुमोदन के अनुसार अब संलग्न अनुलग्नक के रूप में मान्य होगा।

एस. एम. साजिद
कुलसचिव